



**प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य की अनुशंषा** (परिशिष्ट -3)  
(केवल एक या दो बालिका परिवार हेतु नियमित विद्यार्थी के लिए)

क्रमांक:

दिनांक: .....

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री ..... पुत्री श्री .....  
इस विद्यालय ..... की कक्षा .....की नियमित छात्रा रही हैं। इसने  
बोर्ड परीक्षा .....(वर्ष) ..... में राज्य स्तर/जिला स्तर पर योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित  
Cut off अंक या अधिक अंक ..... प्राप्त किये हैं।

मेरे द्वारा की गई जाँच के आधार पर मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि सुश्री .....  
पुत्री श्री ..... के परिवार में केवल निम्नांकित सदस्य है:-

- I. .... (पिता का नाम)
- II. .... (माता का नाम)
- III. .... (छात्रा का नाम जो पुरस्कार हेतु विचाराधीन है)
- IV. ....
- V. ....

उक्त के अलावा इस परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। अतः सुश्री .....  
बोर्ड की एकल/द्वि पुत्री योग्यता पुरस्कार योजनान्तर्गत परिवार में केवल एक या दो कन्या संतान या एक के बाद  
दो जुड़वा कन्या संतान होने तथा राज्य स्तर/जिला स्तर योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off  
अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पुरस्कार पाने की अधिकारी है। मैं यह पुरस्कार देने की अनुशंषा  
करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य .....  
पूरा नाम .....  
पदनाम.....  
(कार्यालय सील सहित)  
फोन नं0 (कोड नं0).....  
मोबाईल नम्बर.....  
ई-मेल .....

अथवा

**जनप्रतिनिधि की अनुशंषा**  
(केवल स्वयंपाठी विद्यार्थी के लिए)

मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि सुश्री .....पुत्री श्री .....  
जिसने कक्षा ..... में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की परीक्षा वर्ष ..... में राज्य स्तरीय/ जिला  
स्तरीय निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off अंक अथवा इससे अधिक अंक .....प्राप्त किये हैं, के परिवार में  
केवल निम्नांकित सदस्य है:-

- I. .... (पिता का नाम)
- II. .... (माता का नाम)
- III. .... (छात्रा का नाम जो पुरस्कार हेतु विचाराधीन है।)
- IV. ....
- V. ....

उक्त के अलावा इस परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। अतः सुश्री .....  
बोर्ड की एकल/द्वि पुत्री योग्यता पुरस्कार योजनान्तर्गत परिवार में केवल एक या दो कन्या संतान या एक के बाद  
दो जुड़वा कन्या संतान होने तथा राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut  
off अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पुरस्कार पाने की अधिकारी है। मैं यह पुरस्कार देने की अनुशंषा  
करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम एवं पद .....  
सील .....  
मो. नं. ....

## बोर्ड कार्यालय की कार्यवाही

1. प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री ..... कक्षा ..... रोल नं. .... ने बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा की राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off अंक अथवा इससे अधिक अंक ..... प्राप्त किये हैं। शाला प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य की रिपोर्ट तथा प्राप्त संलग्न दस्तावेजों के अनुसार यह छात्रा एकल/द्वि पुत्री (SINGAL/TWO FEMALE CHILD) परिवार की है अतः बोर्ड द्वारा घोषित योग्यता पुरस्कार योजना में स ..... का पुरस्कार देने के लिए समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सहायक निदेशक (शैक्षिक)

2. समिति सहायक निदेशक (शैक्षिक) द्वारा प्रस्तुत एकल एवं द्विपुत्री के आवेदन पत्रों की गहनतापूर्वक जांच कर अनुशंषा करती है कि छात्रा को राज्य स्तर/जिला स्तर पुरस्कार रु..... का पुरस्कार स्वीकृत किया जाये।

विशेषाधिकारी (परीक्षा)

वित्तीय सलाहकार

निदेशक (शैक्षिक)

3. अनुच्छेद -2 की अनुशंषा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निदेशक (शैक्षिक)

4. सचिव

सन्तान सम्बन्धी शपथ-पत्र का प्रारूप

मैं ..... (पिता) पुत्र श्री ..... एवं  
 मैं .....(माता) पुत्री/पत्नी श्री .....  
 निवासी .....

शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि :-

1. हमारे केवल एक सन्तान है जो पुत्री है। ( )  
 अथवा  
 हमारे केवल दो सन्तान हैं और दोनों पुत्रियाँ हैं। ( ) जो लागू हो उस पर ✓ चिह्नित करे  
 अथवा  
 हमारे केवल तीन सन्तान हैं और तीनों पुत्रियाँ हैं ( )  
 जिनमें एक पुत्री के बाद दो पुत्रियाँ जुड़वा सन्तान हैं।
2. मेरी/हमारी पुत्री कुमारी ..... जिसने कक्षा ..... में माध्यमिक शिक्षा  
 बोर्ड राजस्थान, अजमेर की परीक्षा में राज्य स्तर/ जिला स्तर पर योग्यता क्रम में  
 निश्चित स्थान तक निर्धारित cut off अंक अथवा अधिक अंक ..... प्राप्त किये हैं,  
 वर्तमान में .....  
 विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में ..... पाठ्यक्रम  
 में नियमित अध्ययनरत है।
3. उपरोक्त अनुच्छेदों में दिया गया विवरण सत्य है।
4. मैं यह भी वचन देता हूँ कि इस घोषणा में दिये गये विवरण के असत्य पाये जाने पर  
 छात्रा को दी गयी पुरस्कार राशि का दो गुना बोर्ड को लौटा दूँगा तथा तथ्यों की  
 असत्यता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

हस्ताक्षर शपथगृहीता

पिता के हस्ताक्षर .....

माता के हस्ताक्षर .....

लेख्य प्रमाणक (नोटेरी पब्लिक) या दण्डनायक/प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी  
 प्रशासक/राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित जो कि स्वयं भी अपने पद की मुद्रा  
 सहित हस्ताक्षर करेंगे।

मुद्रा सहित हस्ताक्षर